खण्ड–19, अंक–6
शुक्रवार, 15 आषाढ़, शक संवत्, 1929
(06 जुलाई, 2007 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)

(द्वितीय सत्र, 2007)

(खण्ड 19 में 8 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2009

मूल्य :

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	'क'
विपक्ष द्वारा नियम–310 की सूचनाओं को सुने जाने का अनुरोध	1–4
प्रश्नोत्तर	4–35
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	35–38
व्हाईटनर लेखन सामग्री पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना	38–39
उत्तराखण्ड जल संस्थान कर्मियों को उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम के कर्मियों की भाँति सुविधायें न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	39
जनपद चमोली में गैरसैंण विकास खण्ड के अन्तर्गत कई क्षेत्रों में बरसाती पानी से भारी हानि होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	39–40
जनपद पौड़ी के कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र में मालन एवं सुखरो नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	40
नियम–310 के अन्तर्गत सूचनाएं	40–45
नियम–58 के अन्तर्गत सूचनाएं	45
वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक की माँगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़ विभाग, अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति आवास एवं नगर विकास विभाग, अनुदान संख्या 27, वन विभाग, अनुदान संख्या–24, परिवहन विभाग, अनुदान संख्या–18 सहकारिता विभाग, अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास विभाग, अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग, अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग। (स्वीकृत)	45–50
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	51
जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र काशीपुर में 'एस्कॉर्ट फार्म के सैकड़ों किसान परिवारों को उनको कृषि भूमि के पट्टे न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री हरभजन सिंह चीमा, स0वि0स0 द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य–मंत्री का वक्तव्य	51–52
जनपद उत्तरकाशी की तहसील बड़कोट के नकोटा गाँव में 24 मई, 2007 की रात्रि को भीषण अग्निकाण्ड से 11 परिवारों को हुए क्षति के लिए विवेकाधीन कोष से राहत राशि देने के सम्बन्ध में श्री केदार सिंह रावत, स0वि0स0 द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य–मंत्री का केवल वक्तव्य	52

''क''

उपस्थिति

1. श्री अजय टम्टा
2. श्री अरविन्द पाण्डे
3. श्री अनिल नौटियाल
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्रीमती आशा
6. श्री ओम गोपाल
7. श्री करन मेहरा
8. सुश्री कैरन हिल्टन
9. श्री किशोर उपाध्याय
10. श्री केदार सिंह
11. श्री केदार सिंह फोनिया
12. श्री खजान दास
13. श्री खड़क सिंह बोहरा
14. श्री गगन सिंह
15. श्री गणेश जोशी
16. श्री गोपाल सिंह
17. श्री गोपाल सिंह रावत
18. श्री गोविन्द लाल
19. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
20. श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
21. श्री चन्दन राम दास
22. श्री जोगा राम टम्टा
23. श्री जोत सिंह गुनसोला
24. हाजी तस्लीम अहमद
25. श्री तिलक राज बेहड़
26. श्री दिनेश अग्रवाल
27. श्री दिवाकर भट्ट
28. श्री दिवान सिंह
29. काजी मौ0 निजामुद्दीन
30. श्री पुष्पेश त्रिपाठी
31. श्री प्रकाश पन्त
32. श्री प्रणव सिंह
33. श्री प्रीतम सिंह
34. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
35. श्री प्रेमानन्द महाजन
36. श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
37. श्री बलबीर सिंह नेगी
38. श्री बिशन सिंह चुफाल
39. श्री बंशीधर भगत
40. श्री बृज मोहन कोटवाल
41. श्री भगत सिंह कोश्यारी
42. श्री मदन कौशिक
43. श्री मनोज तिवारी
44. श्री मयूख सिंह
45. श्री मातबर सिंह कण्डारी
46. श्री मुन्ना सिंह चौहान
47. श्री यशपाल आर्य
48. श्री यशपाल बेनाम
49. चौ यशवीर सिंह
50. श्री रणजीत रावत
51. श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
52. श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
53. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
54. श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
55. श्रीमती वीना महराना
56. श्री शहजाद
57. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
58. श्री सुरेन्द्र राकेश
59. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
60. डा0 हरक सिंह रावत
61. श्री हरभजन सिंह चीमा
62. श्री हरिदास

शुक्रवार, दिनांक 06 जुलाई, 2007 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

विपक्ष द्वारा नियम–310 की सूचनाओं को सुने जाने का अनुरोध

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

(बहुजन समाज पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात उठाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी 310 की सूचना है, कृपया इसे सुन लिया जाये।

*श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी 310 की जो सूचना है वह तात्कालिक और ज्वलंत है, कृपया इसे सुन लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी 310 की एक सूचना है जो प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों तथा नगर निकाय प्रतिनिधियों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है। यह अविलम्बनीय और तात्कालिक लोकमहत्व की सूचना है। कृपया इसे सुन लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना डा0 हरक सिंह रावत...........

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री शहजाद–

मान्यवर, सरकार द्वारा जाति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं, जिससे छात्रों का भविष्य अधर में है।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

बिना अनुमति के बोलेंगे तो लिखा नहीं जायेगा और यह रिकार्ड में नहीं आयेगा।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे अनुमति माँग रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप पहले आसन ग्रहण करें। बिना अनुमति के बोलेंगे तो कुछ भी अंकित नहीं होगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सूचना पर सुन लीजिए, हम बैठ जायेंगे।

श्री शहजाद–

मान्यवर, आज हजारों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए मैं सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पूर्वाह्न 11:18 मिनट पर पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य अपनी–अपनी बात को एक साथ जोर–जोर से कहने लगे।) (घोर व्यवधान)

श्री प्रणव सिंह–

मान्यवर, जुलाई में इंजीनियरिंग कॉलेजों की काउंसिलिंग में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के खिलाफ साजिश रची जा रही है, उनसे मार्च, 2007 तक के जाति प्रमाण–पत्र माँगे जा रहे हैं। उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है........ (घोर व्यवधान)

*काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, उत्तराखण्ड में सरकार द्वारा जाति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं। जबकि अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के छात्रों को बिना जाति प्रमाण–पत्र के मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कालेज व अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश नहीं मिल.....

(शोर)

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, पहले हमारी बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। आप अवगत हैं कि आज की कार्यसूची में बहुत महत्वपूर्ण विषय लगे हुए हैं। आज की कार्यसूची में विभागवार अनुदान की माँगों पर चर्चा होगी तथा अल्पसूचित प्रश्न और तारांकित प्रश्न लगे हैं। इसी प्रकार नियम–300 और नियम–58 की सूचनाएं भी हैं। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है, आज की कार्यसूची में जो विषय हैं उन पर चर्चा की जाए।

आज नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना श्री हरक सिंह रावत, श्री प्रीतम सिंह, श्री करन मेहरा, श्री किशोर उपाध्याय, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, श्री यशपाल आर्य, श्री केदार सिंह, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री राजेश जुवांठा, श्री मनोज तिवारी, श्री गोपाल सिंह राणा, श्री जोत सिंह गुनसोला, श्री तिलकराज बेहड़, श्रीमती अमृता रावत और श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल जी की है।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, यह 310 की सूचना है। इन सूचनाओं को प्रश्नकाल के बाद आप स्वीकार करें या अस्वीकार करें यह आप पर निर्भर है। पहले प्रश्न काल हो जाने दें।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, प्रश्न काल अत्यंत महत्वपूर्ण काल है। मेरा प्रतिपक्ष के साथियों से अनुरोध है कि पहले प्रश्नकाल हो जाने दें।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, आज छात्रों का भविष्य अन्धकारमय है। छात्रों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस विषय को प्रश्नकाल के बाद उठा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

मेरी बात को समाप्त होने दीजिए। पहली सूचना के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह किस समय की घटना है। यह बाद में देख लिया जायेगा। नियम–310 की दूसरी सूचना माननीय काजी मौ0 निजामुद्दीन, श्री हरिदास, मौ0 शहजाद, चौ0 यशवीर सिंह, श्री सुरेन्द्र राकेश और हाजी तस्लीम अहमद जी की है। जैसा कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने भी कहा है कि प्रश्न काल के बाद इन दोनों सूचनाओं को सुन लेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम-310 के अन्तर्गत तीसरी सूचना माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन जी की है जो ऊधमसिंह नगर में स्थित सिडकुल सितारगंज व पन्तनगर में मजदूरों के आन्दोलन के सम्बन्ध में है। मैं इसको भी प्रश्न काल के बाद सुनूँगा।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

प्रदेश में पेयजल संकट एवं निराकरण

**1–श्री प्रीतम सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पेयजल संकट है ?

यदि हाँ, तो सरकार कब तक लोगों को पेयजल समस्या से निजात दिलायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों ?

पेयजल मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

जी नहीं। ग्रीष्मकाल में राज्य के कतिपय स्थानों में पेयजल स्रोतों के स्राव में कमी आने, गर्मी के मौसम में पेयजल की माँग बढ़ जाने, विद्युत आपूर्ति की वोल्टेज में उतार–चढ़ाव एवं याँत्रिक कार्यों से राज्य के कुछ नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आँशिक कमी अवश्य हो जाती है, जिसकी प्रतिपूर्ति टैंकरों के माध्यम से की जाती है।

राज्य के प्रत्येक परिवार को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है तथा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 01 अप्रैल, 2007 को राज्य में अवशेष 3805 असेवित बस्तियाँ एवं 12247 आँशिक सेवित बस्तियाँ हैं। इन बस्तियों को 2012 तक पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पेयजल विभाग द्वारा कार्ययोजना (2007–2012) तैयार की जा चुकी हैं जिसमें अनुमानित लागत रु0 1505 करोड़ व्यय होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्रों के अन्तर्गत कस्बों एवं नगरों में भी प्रत्येक परिवार को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना के अनुसार अनुमानित रु0 675 करोड़ व्यय होने का अनुमान है। गम्भीर पेयजल संकट के निराकरण हेतु ग्रामों में डिग्गियों का निर्माण कराने, वर्षा जल संचय, कंटूर ट्रेंचिंज के निर्माण, चैक बाँधों के निर्माण, वृक्षारोपण इत्यादि के माध्यम से प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण/संवर्द्धन हेतु सरकार कृत संकल्प है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा बताया गया है कि प्रदेश में पेयजल संकट नहीं है। दूसरी ओर मंत्री जी द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ स्थानों में पेयजल का गम्भीर संकट है। क्या वे प्रदेश के अन्तर्गत नहीं आते हैं ? माननीय मंत्री जी का उत्तर तो विरोधाभासपूर्ण है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी का उत्तर पूरा आने दीजिये। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी पहले ये तय कर लें कि क्या प्रदेश में पेयजल संकट है या नहीं। चूँकि माननीय मंत्री जी महसूस कर रहे हैं कि प्रदेश के कुछ गाँव में पेयजल का गम्भीर संकट है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी की पहले पूरी बात सुनी जाय।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने प्रदेश में पेयजल संकट गम्भीर बताया है, लेकिन प्रदेश के कतिपय स्थानों में ही पेयजल की कमी हो रही है क्योंकि ग्रीष्मकाल में राज्य के कतिपय स्थानों में पेयजल स्रोतों में कमी आने, गर्मी के मौसम में पेयजल की माँग बढ़ जाने, विद्युत आपूर्ति की वोल्टेज की कमी और याँत्रिक कार्यों से पेयजल की आँशिक कमी अवश्य हो जाती है, जिसकी प्रतिपूर्ति टैंकरों के माध्यम से की जाती है। (व्यवधान)

*श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, देहरादून में पेयजल का गम्भीर संकट है। मान्यवर, इस बात को आप भी बहुत बार कह चुके हैं और साथ ही हमारे माननीय मंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी द्वारा भी देहरादून में पेयजल के गंभीर संकट को उठाया गया है।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रदेश में पेयजल संकट नहीं है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक स्थान दौरीखाल है जहाँ पेयजल की गम्भीर समस्या है, क्या वह प्रदेश के अन्तर्गत नहीं आता है ? (व्यवधान)

*श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र और हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्र पेयजल समस्या से ग्रसित हैं। मेरा विधान सभा क्षेत्र नैनीताल जनपद के अत्यंत दुर्गम क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। वहाँ के गाँवों के निवासी पेयजल की समस्या से बहुत अधिक परेशान हैं। उनकी पेयजल समस्या को दूर करने के लिए सरकार कोई उपाय करेगी ?

(घोर व्यवधान)

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, माननीय पेयजल मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रदेश में पेयजल संकट नहीं है। हल्द्वानी के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में पानी के लिए जनता परेशान है। मान्यवर, सरकार इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया माननीय मंत्री जी की बात सुन लें। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक जल संरक्षण–संवर्धन मिशन का गठन किया गया है। हमने योजना बनाई है और अगले वर्ष में हम........ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आप अपनी बात को जारी रखें। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, पानी के संकट की क्या परिभाषा है ? (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, प्रत्येक विधायक को उनके विधान सभा क्षेत्र के लिए दस–दस हैण्डपम्प सरकार ने दिए हैं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, अभी तक किसी भी विधायक को कोई भी हैण्डपम्प नहीं दिये गये हैं। किसी भी विधायक के पास ऐसा आदेश अभी तक नहीं पहुँचा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में अवगत करा दें। (घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, प्रश्न हैण्डपम्प का नहीं है प्रश्न है पानी के संकट का। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है और सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। (घोर व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण "वेल" में आ गए और अपनी–अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कई माननीय सदस्य 'वेल' में खडे होकर नारे लगाने लगे)

[XXX]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य "वेल" में आकर अपनी बात कह रहे हैं उनकी बात लिखी नहीं जायेगी। जो माननीय सदस्य बिना अनुमति के "वेल" में आकर बात कह रहे हैं उनकी बात लिखी नहीं जायेगी। माननीय यशपाल जी, श्री किशोर जी, श्री प्रीतम सिंह जी, जब तक आप पूरी बात सुनेंगे नहीं तो कैसे होगा। मैं निवेदन कर चुका हूँ कि तारांकित प्रश्न लगे हैं, जवाब भी आयेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जिस तरह का जवाब सरकार की ओर से आ रहा है इस तरह से तो जवाब आना, न आना बराबर है, यह परम्परा नहीं है, सरकार होमवर्क करके आये। मान्यवर, माननीय मंत्री जी पेयजल संकट को कब मानेंगे ? माननीय मंत्री जी का पेयजल उपलब्ध कराने का क्या मानक है ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्पष्ट कहा है, इसके बावजूद भी...............(घोर व्यवधान)

[XXX]

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपने–अपने स्थान पर चले जायें।

नोट–[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर चले गये)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जिस तरह से माननीय सदस्य प्रीतम सिंह जी ने प्रश्न किया था कि ''क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पेयजल संकट है ?'' मान्यवर, इसको जिस तरह से हल्के ढंग से लिया गया है, इसके उत्तर में कहा गया है कि कोई पेयजल संकट नहीं है। दूसरी तरफ माननीय मंत्री जी स्वयं आंशिक तौर पर स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको अपने सम्बोधन में स्वीकार नहीं किया है। मान्यवर, पूरे प्रदेश में यदि 25 प्रतिशत गाँवों में भी अगर पेयजल संकट है तो क्या इसे पेयजल संकट नहीं मानेंगे ? मान्यवर, यह प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदेश के हर नागरिक को पानी उपलब्ध कराये। मान्यवर, मानव जीवन के लिए पेयजल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप इस अति महत्वपूर्ण प्रश्न को स्थगित करने का कष्ट करें।.... (व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कोई चर्चा नहीं हो रही है।........... (व्यवधान) कृपया संसदीय कार्य मंत्री की बात को सुन लें। मैंने नेता प्रतिपक्ष को भी सुन लिया है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि ''क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पेयजल संकट है ?'' मान्यवर, इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया ''जी नहीं''। वर्तमान समय में राज्य में 3805 असेवित बस्तियाँ हैं एवं 12247 ऐसे गाँव हैं, जहाँ आंशिक सेवित बस्तियाँ हैं। मान्यवर, यदि 25 प्रतिशत गाँवों में पेयजल संकट है तो इसे आँशिक संकट ही कहते हैं, इसे पूरे प्रदेश में पेयजल संकट कैसे घोषित करेंगे ?.......(व्यवधान) मान्यवर, इससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि पूरे प्रदेश में पेयजल संकट नहीं है। मान्यवर, सरकार इस विषय पर क्या करने जा रही है, इसकी कार्ययोजना माननीय मंत्री जी द्वारा दी गयी है।............(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कोई चर्चा नहीं हो रही है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो प्रश्न है, इसमें पेयजल जैसा गम्भीर मुद्दा है, जिससे प्रदेश की जनता त्रस्त है। चाहे इधर बैठे हुए लोग हों, चाहे उधर बैठे हुए लोग हों, जब हम जनता के बीच में जाते हैं, तो हमारे सामने पेयजल की समस्या उठती है। मान्यवर, आपके सम्मुख भी राजधानी में पेयजल की समस्या उठती रहती है। पेयजल सबकी समस्या है। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह पूरा नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में पेयजल संकट नहीं है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, गम्भीर पेयजल संकट है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इसमें 'कतिपय' शब्द नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, गाँवों के नाम बता दिये हैं, जहाँ पर पेयजल की समस्या है, तो 'कतिपय' लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, सही उत्तर नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, विपक्ष हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता है, यह बहुत गम्भीर बात है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी हमको धमका रहे हैं।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य बिना अनुमति के बोल रहे हैं, उनकी कोई बात लिखी नहीं जाएगी।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस तरह किसी की बात नहीं आ पाएगी। बहुत सारे प्रश्न लगे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, पेयजल जैसे गंभीर संकट पर सरकार गंभीर नहीं है। इसलिए हम सदन से वॉक आऊट करते हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष–

नत्थी–ख, तारांकित प्रश्न संख्या–1, माननीय काजी जी।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य सदन में वापस आकर अपने–अपने स्थान पर बैठ गये।)

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 40(2) के अन्तर्गत स्थगित तारांकित प्रश्न

प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्यों से मुक्ति

*1–काजी मौ0 निजामुद्दीन–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से शिक्षण से भिन्न अन्य विभागों का कार्य भी लिया जाता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार प्राथमिक शिक्षा के स्तर को बढ़ाये जाने को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षकों को उपरोक्त कार्यों से मुक्त करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

जी हाँ। शासनादेश संख्या–90/XXIV(1)/2005, दिनांक 5 फरवरी, 2005 के द्वारा राज्य के बेसिक शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य न करवाये जाने के निर्देश हुए। लेकिन उक्त शासानादेश के ही प्रस्तर–3 में विशेष परिस्थितियों में कोई विशिष्ट कार्य सौपने का निर्णय शासन स्तर से लिये जाने का प्राविधान है। जिसके फलस्वरूप शासनादेश संख्या–674/XXIV(1)2005–8/2005, दि0 7 नवम्बर, 2005 द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण एवं शासनादेश संख्या–226/XXIV(1)/2005–8/2005 दि0 04–04–2005 के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रतिरक्षा दिवस के रूप में पल्स पोलियो राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम में शिक्षकों का सहयोग लिया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में सभी स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, एक तरफ तो प्राइमरी एजुकेशन को फण्डामेंटल राईट बताया जा रहा है और दूसरी तरफ अजीब किस्म की स्थिति हो रही है। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें आपकी सरकार का कहीं से कहीं तक कोई योगदान

नहीं है। इसमें एक क्लॉज लिख दिया कि विशेष परिस्थितियों में शिक्षकों से ये–ये कार्य कराये जाएंगे, जिनका विवरण इस लिखित उत्तर में दिया गया है। आपका जो फिलहाल जवाब है कि शिक्षकों को अन्य कार्यों से मुक्त करने पर विचार किया जाएगा। इस पर प्वाइंटेड जवाब चाहूँगा। कब तक इस पर विचार कर लिया जाएगा कि पल्स पोलियो और इलेक्शन में इनसे काम नहीं लिया जाएगा ? यदि जल्दी निर्णय नहीं लिया गया तो वही होगा जैसा कि कल एक माननीय विधायक जी ने बताया कि एक स्कूल में हाईस्कूल परीक्षा में 40 में से 40 बच्चे फेल हो गये।

(माननीय शिक्षा मंत्री श्री मदन कौशिक जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आपका उत्तर आ गया है। निश्चित रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और पिछली विधान सभा में नियम–105 में इस पर चर्चा भी हुई थी। इसको दिखवा लें। यह प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें कुछ ऐसा रास्त निकाला जाना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षकों को यह कार्य न सौंपा जाय और इन कार्यों के लिए प्रशासन को अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ रास्ता निकालना चाहिए और इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को भी कोई रास्ता निकालने का प्रयास करना चाहिए। इस सम्बन्ध में जब तक केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर निर्णय नहीं लेगी, प्रदेश सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, पीठ से निर्देश आ गये हैं...।

*श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी यही कह रहा हूँ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

काजी मौ0 निजामउद्दीन–

मान्यवर, जब पीठ से निर्देश आ गये हैं हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन इसके बाद भी मंत्री जी अब क्यों बता रहे हैं।

(कई माननीय सद्रस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पीठ से निर्देश आ गया है। मैंने कहा कि जब तक केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर इसका रास्ता नहीं निकाल लेते तब तक प्रदेश सरकार इसमे कुछ नहीं कर सकती है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तारांकित प्रश्न

*1–श्री केदार सिंह–

तृतीय सोमवार के तारांकित–10 में स्था0

जनपद ऊधमसिंह नगर स्थित खटीमा के गन्ना कृषकों द्वारा उत्तर प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति

*2–श्री गोपाल सिंह–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा तहसील के किसानों का गन्ना उत्तर प्रदेश की किसान सहकारी चीनी मिल मझोला, पीलीभीत को आपूर्ति किया जाता है ?

क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश के मझोला चीनी मिल के अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड के गन्ना कृषकों की उपेक्षा तथा उन्हें परेशान किया जाता है तथा वर्तमान में पेराई सत्र में उत्तराखण्ड के कृषकों का गन्ना नहीं लिया गया ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार खटीमा के गन्ना कृषकों का उत्तराखण्ड की चीनी मिलों में गन्ना सप्लाई की कोई व्यवस्था करेगी ?

तथा सितारगंज चीनी मिल की क्षमता को भी बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

कुछ समस्याएं आईं, जिनके समाधान हेतु मिल प्रबन्ध तंत्र से सम्पर्क कर व्यवस्था सुचारू की गयी। तथा कुछ मात्रा में गन्ना सितारगंज चीनी मिल को व्यावर्तित किया गया।

समस्या होने पर खटीमा क्षेत्र के कृषकों को उत्तराखण्ड की चीनी मिलों में आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध है।

जी नहीं।

चीनी मिलों की क्षमता का निर्धारण गन्ना आपूर्ति/क्षेत्र आवंटन एवं निर्धारित मानकों के आधार पर किया गया है।

*श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, मैंने एक प्वाइंटेड प्रश्न पूछा और उसका उत्तर नहीं आया हैं, मैंने पूछा था "क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश के मझोला चीनी मिल के अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड के गन्ना कृषकों की उपेक्षा तथा उन्हें परेशान किया जाता है तथा वर्तमान पेराई सत्र में उत्तराखण्ड के कृषकों का गन्ना नहीं लिया गया ?"

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसमें स्पष्ट उत्तर आया है। (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, प्रतिपक्ष के सदस्य गलत सुन लेते हैं, मान्यवर, यहाँ पर प्रश्न काल हो रहा है जो कि बहुत ही गम्भीर और महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यगण प्रश्न काल को भी हँसी–मजाक में उड़ा रहे हैं। आप लोग प्रश्न पूछिये सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है।

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि कुछ समस्यायें आयीं और जिनके समाधान के लिए मिल के प्रबन्ध तंत्र से मिल कर व्यवस्था को सुचारू कर दिया गया है और यह तो माननीय विधायक जी भी जानते ही हैं कि कुछ गन्ना सितारगंज मिल में भी व्यावर्तित किया गया। माननीय विधायक जी तो इससे सम्बन्धित जो मीटिंगे होती हैं, उनमें भी जाते हैं, उनको तो इसकी पूरी जानकारी है।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि खटीमा के गन्ना कृषकों का कितना गन्ना सितारगंज मिल में दिया गया और कितना मझोला में दिया गया ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपने 1 साल का पूछा है, मैं 5 साल का बता देता हूँ।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, आप एक ही वर्ष का बता दें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, वर्ष 2006–07 में 15.68 क्विंटल गन्ना मझोला चीनी मिल में भेजा गया।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, मझोला में जो गेट के कृषक हैं, उनका गन्ना नहीं लिया गया है। माननीय मंत्री जी क्या बताने का कष्ट करेंगे कि खटीमा के जो गेट का गन्ना है उसे सितारंगज मिल में लिया जायेगा ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसका जो कमान्ड एरिया होता है, उसके लिए निर्देश होते हैं कि इतना गन्ना इस एरिया में दिया जायेगा। मान्यवर, यदि इसमें हम गन्ने की आपूर्ति कम करेंगे तो जो हमारा उत्तर प्रदेश का सहमति पत्र है उसका उल्लंघन होगा। लेकिन जो जिज्ञासा जाहिर की गयी तो निश्चित रूप से कुछ समस्याएं आई हैं, उनका समाधान किया जायेगा। माननीय सदस्य भी कई बार वहाँ मीटिंग में गये हैं।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, मझोला चीनी मिल में गन्ना नहीं लिया जा रहा है।

श्री प्रणव सिंह–

मान्यवर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण

*3–श्री प्रीतम सिंह–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम निर्माण पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो किस स्थान पर तथा कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ करायेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी)–

जी हाँ।

जनपद देहरादून के परेड ग्राउण्ड में एवं जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है। वर्तमान में इन दोनों स्थलों पर वास्तविक निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि की स्थिति से अवगत कराया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि परेड ग्राउण्ड में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम के निर्माण का विषय मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में प्रस्तावित स्टेडियम के निर्माण में हल्द्वानी बाईपास पर गौला नदी पार स्थित 15.20 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार परेड ग्राउण्ड में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने के लिए वचनबद्ध है ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, इसमें लिखित उत्तर भी दिया गया है। वैसे परेड ग्राउण्ड में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाये जाने का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। चूँकि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है अतः इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–4 पुकारे जाने पर कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रणव सिंह–

मान्यवर, अनुपूरक पूछा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, प्रश्न में परेड ग्राउण्ड को स्पेसिफिक करके पूछा गया है, इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दे दिया है। (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, जब अनुपूरक ही नहीं पूछ सकते तो फिर तारांकित और अतारांकित में अन्तर ही क्या रहा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। (व्यवधान)

*श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, नियम–44 में व्यवस्था है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय उच्च न्यायायल में विचाराधीन प्रकारण पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री प्रणव सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय खेल मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो हल्द्वानी में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने का उल्लेख किया गया है, उसमें क्या–क्या मानक रखे गये हैं और कब तक इसे पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, अभी मानक नहीं तय किये गये हैं, अभी भूमि का अधिग्रहण भी नहीं हुआ है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण सदन का परित्याग कर चले गये।)

श्री हरिदास–

मान्यवर, प्रश्नों के जवाब सही नहीं आ रहे हैं, अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछने दिया जा रहा है। इसलिए मैं अपने दल के साथियों के साथ सदन का परित्याग करता हूँ। (तत्पश्चात् बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण सदन का परित्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या–3 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

पर्वतीय क्षेत्रों में प्राइमरी व जूनि0 हाई स्कूलों में अध्यापकों की कमी

*4–श्री प्रीतम सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में प्राईमरी व जू0 हाई स्कूलों के अध्यापकों की कमी है ?

यदि हाँ, तो कब तक पूर्ण रूप से अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

विशिष्ट बी0टी0सी0 चयन के अन्तर्गत विद्यालयों में अध्यापकों की पदस्थापना की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड में शराब तस्करी पर आबकारी नीति

*5–श्री करन मेहरा–

क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आबकारी नीति/कानून में कम या अधिक मात्रा में शराब तस्करी हेतु दण्ड की एक समान व्यवस्था है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस त्रुटिपूर्ण कानून में संशोधन हेतु कार्यवाही करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तराखण्ड आबकारी अधिनियम में शराब तस्करी पर दण्ड की एक समान व्यवस्था नहीं है।

बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भाँति सेवानिवृत्ति पर समस्त देयकों का लाभ

*6–श्री मनोज तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भाँति सेवानिवृत्ति पर बचे अवकाशों के नकदीकरण एवं ग्रेच्यूटी की सुविधा अनुमन्य है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या यह सत्य है कि दिनांक 22–04–2006 से उक्त कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारी घोषित किया गया है ?

यदि हाँ, तो इन्हें राज्य कर्मचारियों की भाँति सेवानिवृत्ति पर समस्त देयकों का भुगतान/लाभ दिया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ। विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 के दिनांक 22–04–2006 को राजपत्र में प्रकाशित होने से बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का भी राजकीयकरण हो गया है। अतः अन्य राज्य कर्मचारियों की भाँति सभी सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

शासनादेश संख्या–520/XXIV(1)/2006–26/2006 दिनांक 22–04–2006 के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद् के समस्त शिक्षक, अधिकारी तथा कर्मचारी राज्य सरकार के शिक्षक/कर्मचारी हो गये हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें राज्य कर्मचारियों की भाँति सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के राजकीयकरण के पश्चात् समायोजन एवं पुरानी सेवाओं पर वरीयता

*7–श्री मनोज तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के संगठनात्मक स्वरूप के निर्धारण में बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के राजकीयकरण तथा राजकीयकरण के उपरान्त इनके समायोजन एवं पुरानी सेवाओं की वरीयता दिये जाने के सम्बन्ध में शासन की क्या योजना है ?

श्री मदन कौशिक–

बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के राजकीयकरण तथा राजकीयकरण के उपरान्त इनके समायोजन एवं पुरानी सेवाओं की वरीयता दिये जाने के सम्बन्ध में नियमावली प्रख्यापन की कार्यवाही विचाराधीन है।

*8–श्री प्रणव सिंह–द्वितीय शुक्रवार के तारांकित–04 में स्था0

अतारांकित प्रश्न

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरिद्वार में हुए प्रवेश घोटाले में प्रवेश प्रभारी पर कार्रवाई

1–श्री हरिदास–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरिद्वार में अगस्त, 2003 में हुए प्रवेश घोटाले में तत्कालीन प्रवेश प्रभारी को दिये गये आरोप–पत्र पर क्या कार्रवाई की गई ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरिद्वार में अगस्त, 2003 में हुए प्रवेश घोटाले में तत्कालीन प्रवेश प्रभारी श्री जे0पी0 चौहान को 29 जुलाई, 2005 को आरोप–पत्र तामील कराया गया। आरोप पत्र का प्रत्युत्तर श्री चौहान के वकील द्वारा दिनांक 11–8–2005 को दिया गया। यद्यपि श्री चौहान 31–7–2005 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, निदेशालय स्तर पर कार्रवाई विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार स्थित फैक्ट्रियों में श्रमिक कानूनों का उल्लंघन

2–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार स्थित फैक्ट्रियों को श्रमिक कानून के उल्लंघन तथा श्रमिकों के शोषण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का श्रम मंत्री/जिलाधिकारी हरिद्वार/सहायक श्रम आयुक्त को सम्बोधित पत्र दिनांक 30–4–2007 प्राप्त हुआ है ?

यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर स्थित थारू राज0 इ0 कालेज खटीमा में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण

3–श्री गोपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि थारू राजकीय इण्टर कालेज खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर में छात्रों के बैठने हेतु अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के निर्माण हेतु 54 (चौवन) लाख का प्रस्तावित आंकलन शिक्षा विभाग में लम्बित है ?

यदि हाँ, तो क्या शिक्षा मंत्री थारू रा0 इ0 कालेज खटीमा ऊधमसिंह नगर हेतु रु0 चौवन लाख का प्रस्तावित आंकलन स्वीकार कर अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण करायेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

थारू राजकीय इण्टर कालेज खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर में छात्रों के बैठने हेतु अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण हेतु धनराशि रु0 50.34 लाख (रु0 पचास लाख, चौतीस हजार मात्र) का आंकलन प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव विचाराधीन है। बजट की उपलब्धता होने पर तत्परता के साथ अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर स्थित राज0बा0इ0 कालेज, खटीमा में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण

4–श्री गोपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि थारू जन–जाति क्षेत्र में एक मात्र राजकीय बालिका इण्टर कालेज खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर में छात्राओं की संख्या के अनुपात में कक्षा–कक्ष कम हैं ?

क्या यह सत्य है कि छात्राओं को बैठने के लिए अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के निर्माण का प्रस्ताव आंकलन सहित शिक्षा विभाग में लम्बित है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी छात्राओं की समस्याओं को देखते हुए अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण कार्य शीघ्र करायेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रस्ताव एवं आगणन प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर स्थित राज0 इ0 कालेज वांडिया हेतु ग्राम भगचूरी में नये विद्यालय भवन एवं खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन

5–श्री गोपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर में रा0इ0 कालेज वांडिया, तहसील खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर हेतु ग्राम भगचूरी के अन्तर्गत पाँच एकड़ भूमि का

सरकारी बाग (जिसमें अब कोई पेड़ नहीं हैं) विद्यालय भवन एवं एक खेल के मैदान हेतु शासन से आवंटित हो चुका है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर नये विद्यालय हेतु भवन निर्माण कराये जाने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

शिक्षा निदेशालय से अभी तक प्रस्ताव एवं आगणन प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्ताव एवं आगणन प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

6–श्री गोपाल सिंह–दिनांक 02–07–2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या–51 द्वारा उत्तरित

ऊधमसिंह नगर स्थित मझोला गन्ना समिति खटीमा के जीर्ण–शीर्ण भवन का पुनर्निर्माण

7–श्री गोपाल सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री अवगत हैं कि गन्ना विभाग में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य सम्पत्ति बँटवारे के अनुसार मझोला गन्ना समिति का पुराना जीर्ण–शीर्ण भवन खटीमा मझोला, गन्ना समिति खटीमा, ऊधमसिंह नगर के हिस्से में आया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार खण्डहर हो चुके उक्त भवन के स्थान पर नया गन्ना समिति का भवन बनवायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

जी नहीं।

समिति का भवन बनवाने का कार्य सहकारी समिति द्वारा किया जाता है।

ऊधमसिंह नगर में तहसील सितारगंज स्थित राज0उ0मा0 विद्यालय बलखेड़ा के जीर्ण–शीर्ण भवन के नव निर्माण पर विचार

8–श्री गोपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जिला ऊधमसिंह नगर में तहसील सितारगंज स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलखेड़ा, पुराने जूनियर हाई स्कूल के पुराने भवन में चल रहा है ?

क्या यह सत्य है कि उक्त भवन अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण एवं टूटने के कगार पर है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार रा0उ0मा0 विद्यालय बलखेड़ा सितारगंज ऊधमसिंह नगर का नया विद्यालय भवन निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

जी हाँ।

रा0उ0मा0वि0, बलखेडा, ऊधमसिंह नगर में कक्षा संचालन हेतु अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव एवं आगणन तैयार करने हेतु निदेशक, विद्यालयी शिक्षा को निर्देशित किया जा चुका है। प्रस्ताव एवं आगणन प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए विचार किया जायेगा।

वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

ऊधमसिंह नगर में थारू रा0इ0 कालेज में वाणिज्य विषय खोलने की घोषणा

9–श्री गोपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि 13 फरवरी, 2004 को खटीमा, ऊधमसिंह नगर पर तत्कालीन मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा थारू रा0इ0 कालेज में वाणिज्य विषय खोलने की घोषणा की गयी थी ?

यदि हाँ, तो क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वाणिज्य विषय खोलने की घोषणा कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

शासनादेश संख्या सी0एम0/129/XXIV–2/2004 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग दिनांक 30 दिसम्बर, 2004 के द्वारा इण्टर स्तर पर वाणिज्य विषय प्रवक्ता का पद सृजित हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के ब्लॉक भगवानपुर में आई0टी0आई0 की स्थापना

10–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार जनपद के ब्लॉक भगवानपुर में आई0टी0आई0 की स्थापना कब तक करा दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

शासनादेश संख्या–1609 / VIII / 59–प्रशि0 / 2005, दिनांक 16–2–2006 द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भगवानपुर की स्थापना की गयी थी, परन्तु भगवानपुर में भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण उक्त आई0टी0आई0 को भगवानपुर से 12 कि0मी0 दूर डेलना में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार के नारसन स्थित आर0एम0पी0पी0 कन्या जूनियर हाई स्कूल को अनुदान सूची में सम्मिलित किया जाना

11–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आर0एम0पी0पी कन्या जूनियर हाई स्कूल गुरूकुल नारसन, जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड के अनुदान सूची में आने के दिनांक से विभाग द्वारा अनुमोदित समस्त अध्यापकों एवं कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

आर0एम0पी0पी0 कन्या जूनियर हाई स्कूल नारसन, हरिद्वार को अनुदान सूची में सम्मिलित किए जाने के उपरान्त विद्यालय में केवल 01 प्रधानाध्यापिका व 05 सहायक अध्यापकों का नियमित रूप से वेतन भुगतान किया जा रहा है, किन्तु 01 लिपिक एवं 01 परिचारक के पद पर नियुक्ति किये गये कार्मिकों का वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है।

वेतन भुगतान न किए जाने के कारण निम्नवत् हैं :–

विद्यालय में लिपिक एवं परिचारक के एक–एक सृजित पद के सापेक्ष दो–दो कार्मिकों को नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप इनकी नियुक्तियों को मा0 उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है। मा0 उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15–5–2007 में आदेश पारित किए हैं कि अपर शिक्षा निदेशक (बे0) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में जाँच कर निर्णय देना सुनिश्चित करेंगे। वर्तमान में प्रकरण

अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 01–7–2007 को सुनवाई हेतु तिथि नियत की गयी है। अपर शिक्षा निदेशक के निर्णय के उपरान्त वैधानिक रूप से नियुक्त कार्मिकों को वेतन भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

ऊधमसिंह नगर स्थित रा0इ0का0 झनकट खटीमा में छात्र–छात्राओं हेतु अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण

12–श्री गोपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राजकीय इण्टर कालेज झनकट, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर दो परिसरों में संचालित होने के कारण छात्र–छात्राओं को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार राजकीय इण्टर कालेज झनकट, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर में छात्र–छात्राओं हेतु अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

विद्यालय के पुराने परिसर में 8 कक्षा–कक्ष एवं नये परिसर में 11 कक्षा–कक्ष, इस प्रकार कुल 19 कक्षा–कक्ष उपलब्ध हैं। विद्यालय के दोनों परिसरों के मध्य मात्र 500 मी0 की ही दूरी है।

विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के निर्माण हेतु प्रस्ताव एवं आगणन प्राप्त होने के उपरान्त बजट की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए यथा आवश्यकतानुसार।

यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के भवनहीन राजकीय इण्टर कालेजों की स्थिति एवं जीर्ण–शीर्ण भवनों की मरम्मत

13–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत कराने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के कितने राजकीय इण्टर कालेज भवनहीन हैं तथा कितने राजकीय इण्टर कालेजों के भवन जीर्ण–शीर्ण एवं जर्जर स्थिति में हैं ?

यदि हाँ, तो सरकार कब तक प्रदेश के भवनहीन कालेजों एवं जीर्ण–शीर्ण भवनों की मरम्मत सुनिश्चित करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

प्रदेश के 136 राजकीय इण्टर कालेज भवनहीन हैं तथा 283 राजकीय इण्टर कालेज जीर्ण–शीर्ण स्थिति में हैं।

प्रस्ताव एवं आगणन प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए यथासमय विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम व सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत विद्यालय सामग्री खरीद में घोटाला एवं कथित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही

14–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम व सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत विद्यालय सामग्री खरीद घोटाले की जाँच पूर्व सरकार द्वारा करायी गयी थी ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जाँच आख्या को पटल पर रखकर लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

जी हाँ।

शासन के पत्र संख्या–243/XXIV–2/2007 देहरादून दिनांक 23–05–2007 के आदेशानुसार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में कुल रु0 29.00 लाख की शिक्षण सामग्री क्रय में की गयी अनियमितताओं हेतु क्रय समिति के सदस्य सचिव तत्कालीन अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) को निलम्बित कर दिया गया है, तथा समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य की खेल नीति के अनुपालन में प्रदेश में किये जा रहे कार्य

15–श्री प्रीतम सिंह–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य की अपनी कोई खेल नीति के अनुपालन में प्रदेश में क्या–क्या कार्य किये जा रहे हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रथम खेल नीति–2006 के अधीन खिलाड़ियों को राज्याधीन सेवाओं में 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिये जाने सम्बन्धी शासनादेश निर्गत किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाओं के सृजन, उच्च कोटि की अवस्थापना सुविधाओं के विकास, सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्रों की सहभागिता, खिलाड़ियों को प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय स्तर पर चिन्हित, चयनित व प्रेरित करने हेतु समय–समय पर कार्यवाही तथा विगत में शिक्षा विभाग के साथ विचार–विमर्श किया गया। खेल नीति के प्रभावी अनुपालन के सन्दर्भ में इन्ही बिन्दुओं के आधार पर कार्यवाही करना प्रारम्भ से ही सरकार की प्राथमिकता रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के खानपुर वि0ख0 के ग्राम प्रहलादपुर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण कार्य की स्थिति

16–श्री प्रणव सिंह–

क्या श्रम मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के खानपुर विकास खण्ड के ग्राम प्रहलादपुर में गत वर्ष राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) निर्मित करा दिया गया था ?

यदि हाँ, तो उक्त संस्थान में शिक्षण कार्य प्रारम्भ न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार लोकहित में उक्त संस्थान में इसी सत्र से शिक्षण कार्य प्रारम्भ करा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

आई0टी0आई0 प्रहलादपुर के भवन का निर्माण लगभग 90% पूर्ण है।

भवन निर्माण का कार्य पूर्ण न होना।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार लक्सर के के0वी0 इण्टर कालेज में प्रबन्ध समिति की चुनाव प्रक्रिया

17–श्री प्रणव सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार लक्सर के के0वी0 इण्टर कालेज में गत ग्यारह वर्ष से (सन् 1996 से) विद्यालय की प्रबन्ध समिति का चुनाव नहीं कराया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार लोकहित में उक्त शिक्षण संस्थान में प्रबन्ध समिति की चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कराने जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। मा0 न्यायालय के आदेश के अनुरूप ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद टिहरी के वि0ख0 प्रतापनगर स्थिति कन्या प्राथमिक विद्यालय मुखेम का उच्चीकरण

18–श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड प्रतापनगर में वर्ष 1949 में स्थापित कन्या प्राथमिक विद्यालय मुखेम को कन्या जूनियर हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकृत किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि प्राथमिक विद्यालय के उच्चीकरण का प्राविधान नहीं है तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के मुखेम नामक स्थान पर नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना प्रस्तावित हैं।

जनपद उत्तरकाशी में प्रशिक्षित विशिष्ट बी0टी0सी0 के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पश्चात् नियुक्ति न दिये जाने के कारण

19–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में प्रशिक्षित विशिष्ट बी0टी0सी0 के पाँच अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पश्चात् भी नियुक्ति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

क्या यह सत्य है कि शिक्षा विशारद उपाधि धारक अन्य अभ्यर्थियों के आवेदन विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु अस्वीकार कर दिये गये ?

यदि हाँ, तो क्यों ?

क्या सरकार इस प्रकरण की निष्पक्ष जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जनपद उत्तरकाशी में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त पाँच अभ्यर्थी, जिन्हें नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है, शिक्षा विशारद योग्यता धारक हैं, इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता नहीं दी गयी।

जी हाँ।

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण उपाधियों को ही मान्य किया गया है। क्योंकि शिक्षा विशारद एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त नहीं है। अतः इसे अस्वीकार किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा के वि0ख0 द्वाराहाट अन्तर्गत "बिन्ता" में स्वीकृत आई0टी0आई0 हेतु चयनित भूमि का अधिग्रहण

20–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट अन्तर्गत "बिन्ता" में स्वीकृत आई0टी0आई0 हेतु चयनित शिक्षा विभाग की भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है ?

यदि हाँ, तो भवन निर्माण कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार में विशिष्ट बी0टी0सी0 के रिक्त पदों पर मूलतः हरिद्वार जनपद की निवासिनी महिला शिक्षकों की नियुक्ति

21—श्री प्रणव सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में विशिष्ट बी0टी0सी0 के लगभग 1200 पद रिक्त हैं ?

उन पर वरीयता पर मूलतः हरिद्वार जनपद की निवासिनी महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक—

जनपद हरिद्वार में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2006—07 हेतु 1110 सीटें आवंटित की गयी हैं।

जी हाँ। शासनादेश संख्या—448/XXIV(1)/2006—45/2004, दिनांक 13—06—2006 के प्रस्तर—2(1) में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों के गृह जनपद स्थित प्रशिक्षण संस्थान में ही आवेदन किये जाने का प्राविधान है।

विशिष्ट बी0टी0सी0 चयन प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट अन्तर्गत रा0 इ0 कालेज तकुल्टी में स्वीकृत प्रवक्ता/सहा0 अध्यापक पदों के सापेक्ष कार्यरत कर्मचारी

22—श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट तहसील अन्तर्गत राजकीय इन्टर कालेज, तकुल्टी में स्वीकृत प्रवक्ता/सहायक अध्यापक पदों के सापेक्ष कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

क्या सरकार रिक्त पदों पर यथाशीघ्र अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक—

राजकीय इण्टर कालेज तकुल्टी, अल्मोड़ा में सहायक अध्यापक (एल0टी0 संवर्ग) के 12 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 08 सहायक अध्यापक (एल0टी0 संवर्ग) कार्यरत हैं एवं 04 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार प्रवक्ता के स्वीकृत 09 पदों के सापेक्ष 03 प्रवक्ता कार्यरत हैं एवं 06 पद रिक्त हैं।

वर्तमान में प्रवक्ता/सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट अन्तर्गत विभिन्न उच्चीकृत विद्यालयों में कला एवं विज्ञान संकाय में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत प्रवक्ता/सहा0 अध्यापक

23–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नव उच्चीकृत विद्यालय दूनागिरी, अलगोली, बटुलिया, चित्रेश्वर, पारकोट, क्वैराली, कुनस्यारी, पटलगाँव, महतगाँव के कला एवं विज्ञान संकाय में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने प्रवक्ता/स0 अध्यापक कार्यरत हैं ?

क्या उक्त विद्यालयों में प्रवक्ता/स0 अध्यापकों के रिक्त पदों पर शीघ्र तैनाती की जायेगी।

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक--

नव उच्चीकृत विद्यालय दूनागिरी, बटुलिया, चित्रेश्वर, क्वैराली, कुनस्यारी, पटलगाँव एवं महतगाँव में विज्ञान संकाय में प्रवक्ता के कुल सृजित पदों की संख्या–16 है जिसके सापेक्ष 05 प्रवक्ता कार्यरत हैं, एवं कला संकाय में प्रवक्ता के कुल सृजित पदों की संख्या 28 है जिसके सापेक्ष 17 प्रवक्ता कार्यरत हैं, इसी प्रकार सहायक अध्यापकों के कुल सृजित पदों की संख्या–71 है जिसके सापेक्ष 32 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं।

जी हाँ।

प्रवक्ता वेतनक्रम में पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के माध्यम से तथा सहायक अध्यापक (एल0टी0 संवर्ग) वेतनक्रम में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 भिक्यासैंण स्थित रा0इ0का0 जीनापानी में अध्यापकों के सृजित कुल पदों के सापेक्ष कार्यरत अध्यापक

24–श्री रणजीत रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 भिक्यासैंण के रा0इ0का0 जीनापानी में अध्यापकों के कुल कितने पद सृजित हैं व कितने अध्यापक वर्तमान में कार्यरत हैं ?

रिक्त पदों पर कब तक अध्यापकों की तैनाती कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

राजकीय इण्टर कालेज जीनापानी, अल्मोड़ा में सहायक अध्यापक (एल0टी0 संवर्ग) के 07 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 04 सहायक अध्यापक (एल0टी0 संवर्ग) कार्यरत हैं एवं 03 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार प्रवक्ता के स्वीकृत 10 पदों के सापेक्ष 03 प्रवक्ता कार्यरत हैं एवं 07 पद रिक्त हैं।

वर्तमान में प्रवक्ता/सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 स्याल्दे स्थित रा0इ0का0 कुलाण्टेश्वर में अध्यापकों के कुल सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत अध्यापक

25–श्री रणजीत रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 स्याल्दे के रा0इ0का0 कुलाण्टेश्वर में अध्यापकों के कुल कितने पद सृजित हैं व कितने अध्यापक वर्तमान में कार्यरत हैं ?

सरकार शेष रिक्त पदों पर अध्यापकों की तैनाती कब तक करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

राजकीय इण्टर कालेज कुलाण्टेश्वर, अल्मोड़ा में सहायक अध्यापक (एल0टी0 संवर्ग) के 12 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 09 सहायक अध्यापक (एल0टी0 संवर्ग) कार्यरत हैं एवं 03 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार प्रवक्ता के स्वीकृत 09 पदों के सापेक्ष 02 प्रवक्ता कार्यरत हैं एवं 07 पद रिक्त हैं।

वर्तमान में प्रवक्ता/सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के रा0इ0का0 सोली (सल्ट) में अध्यापकों के कुल सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत अध्यापक

26–श्री रणजीत रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के रा0इ0का0 सोली (सल्ट) में अध्यापकों के कुल कितने पद सृजित हैं व सृजित पदों के सापेक्ष कितने अध्यापक वर्तमान में कार्यरत हैं ?

रिक्त पदों पर कब तक अध्यापकों की तैनाती कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

राजकीय इण्टर कालेज सोली (सल्ट), अल्मोड़ा में सहायक अध्यापक (एल0टी0 संवर्ग) के 12 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 08 सहायक अध्यापक (एल0टी0 संवर्ग) कार्यरत हैं एवं 04 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार प्रवक्ता के स्वीकृत 10 पदों के सापेक्ष 03 प्रववक्ता कार्यरत हैं एवं 07 पद रिक्त हैं।

वर्तमान में प्रवक्ता/सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 स्याल्दे के प्रा0पा0 सुवाद्योल में शिक्षकों के कुल सृजित पद तथा कार्यरत शिक्षक

27–श्री रणजीत रावत

क्या शिक्ष मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्याल्दें के प्रा0पा0 सुवाद्योल में शिक्षकों के कितने पद सृजित हैं तथा वर्तमान में कौन–कौन शिक्षक वहाँ पर कार्यरत हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

प्रा0पा0 सुवाद्योल, विकास खण्ड स्याल्दे में मानकानुसार शिक्षकों के 02 पद सृजित हैं। वर्तमान में उक्त विद्यालयों में सुश्री सावित्री महिला शिक्षा मित्र कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

रानीखेत कैन्ट से लगे टाईस्टेट में जंगलात की भूमि में खेल के मैदान की व्यवस्था

28–श्री करन मेहरा–

क्या खेल मंत्री बतायेंगे कि सरकार रानीखेत कैन्ट से लगे टाईस्टेट में जंगलात की भूमि में खेल के मैदान की व्यवस्था कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र भण्डारी–

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों की नियुक्तियाँ

29–श्री मनोज तिवारी–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों के रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ सेवा निमयावली के अनुसार ही की जाती हैं। लिखित परीक्षा का प्राविधान कराये जाने हेतु अनुदेशक सेवा नियमावली, 2003 में संशोधन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों को फरवरी 2007 के बाद गन्ना चीनी मिलों को की जा रही आपूर्ति का भुगतान

30–श्री मनोज तिवारी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के किसानों द्वारा फरवरी 2007 के बाद प्रदेश की गन्ना चीनी मिलों को की जा रही आपूर्ति का भुगतान कब तक किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

चीनी मिलों को गन्ना मूल्य का भुगतान शीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्यरत बेसिक शिक्षा परिषद् शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या

31–श्री मनोज तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने बेसिक शिक्षा परिषद् शिक्षणेत्तर कर्मचारी कार्यरत हैं ?

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि उ0प्र0 से विभाजन के पूर्व परिषदीय शिक्षणेत्तर कर्मचारियों/बेसिक शिक्षकों के नियंत्रण हेतु वर्ष 1972 में बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन किया गया था तथा प्रधान लिपिक पद पर पदोन्नति का अधिकार सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् को निहित था ?

क्या सरकार प्रदेश के परिषदीय कार्यालयों में रिक्त प्रधान लिपिक के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही शासन/विभाग स्तर पर की जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

प्रदेश में कुल 1176 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षणेत्तर कर्मचारी कार्यरत हैं।

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि 22–04–2006 के पश्चात् समस्त परिषदीय कर्मचारियों को राजकीय घोषित कर दिया गया है। अतः नियमों के अधीन पदोन्नति की जायेगी।

जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 स्याल्दे के अन्तर्गत सराईखेत में आई0टी0आई0 की स्थापना की जानकारी

32–श्री रणजीत रावत–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 स्याल्दे के अन्तर्गत सराईखेत में आई0टी0आई0 की स्थापना की स्वीकृति जारी कर दी गयी है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड स्याल्दे में पूर्व से ही राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, स्याल्दे संचालित है।

जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 भिक्यासैंण के बासोट में आई0टी0आई0 की स्थापना

33–श्री रणजीत रावत–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 भिक्यासैंण के अन्तर्गत बासोट में आई0टी0आई0 की स्थापना की स्वीकृति जारी कर दी गयी है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड भिक्यासैंण में पूर्व से ही राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दौला संचालित है।

जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 भिक्यासैंण के चौनालिया में कस्तूरबा गाँधी नवोदय विद्यालय की स्थापना

34–श्री रणजीत रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 भिक्यासैण के चौनालिया नामक स्थान पर कस्तूरबा गाँधी नवोदय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति जारी कर दी गयी है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत न होने के कारण स्वीकृति नहीं दी गयी है।

जनपद अल्मोड़ा स्थित रा0क0उ0मा0वि0 बग्वाली पोखर एवं उभ्याड़ी का उच्चीकरण

35–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रा0क0उ0मा0 विद्यालय बग्वाली पोखर एवं उभ्याड़ी जनपद अल्मोड़ा का उच्चीकरण कर दिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति न होने के कारण।

उच्चीकरण किये जाने हेतु विभागीय मानक निम्नवत् हैं :–

1. क्षेत्र की सेवित जनसंख्या 8000 से अधिक होनी चाहिए।
2. प्रस्तावित रा0उ0मा0वि0 / रा0का0उ0मा0वि0 में कक्षा 6 से 10 तक की छात्र संख्या कम से कम 150 होनी चाहिए।
3. कक्षा 11 की अनुमानित छात्र संख्या कम से कम 25 होनी चाहिए।
4. प्रस्तावित विद्यालय का प्रथम बैच हाई स्कूल की परीक्षा में कम से कम 05 वर्ष पूर्व बैठा होना चाहिए।

5. प्रस्तावित विद्यालय का गत तीन वर्षों का हाई स्कूल का परीक्षाफल 50 प्रतिशत होना चाहिए।

6. 10 कि0मी0 की परिधि में किसी अन्य इण्टर कालेज का न होना।

7. निःशुल्क पर्याप्त भवन एवं अतिरिक्त निर्माण हेतु भूमि का उपलब्ध होना।

अभ्युक्ति रा0क0उ0मा0वि0 बग्वाली पोखर, अल्मोड़ा के 10 कि0मी0 की परिधि में रा0इ0का0 बग्वाली पोखर सह शिक्षा के रूप में संचालित है तथा 01 वर्ष का हाई स्कूल का परीक्षाफल विभागीय मानकों के परिप्रेक्ष्य में न्यून है, तथा रा0क0उ0मा0वि0 उम्याड़ी के 10 कि0मी0 की परिधि में इण्टर कालेज नौगाँव कफल्डा सह शिक्षा के रूप में संचालित है। अतः रा0का0उ0मा0वि0 बग्वाली पोखर एवं उम्याड़ी, जनपद अल्मोड़ा का उच्चीकरण विभागीय मानकों को पूर्ण नहीं करने के कारण नहीं किया जा सका।

36–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत सुश्री कैरन मेयर हिल्टन, श्री गोपाल सिंह रावत, श्री अनिल नौटियाल, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री शैलेन्द्र रावत, श्री राजेश जुवाँठा, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री गगन सिंह रजवार, श्री प्रेमानन्द महाजन की कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से सुश्री कैरन मेयर हिल्टन, श्री राजेश जुवाँठा तथा सुरेन्द्र राकेश की सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार कर रहा हूँ।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सुश्री कैरन मेयर हिल्टन का नाम पुकारे जाने पर)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी नियम–310 के अन्तर्गत जो सूचना है, आज सारे नियमों को निलम्बित करते हुए इस पर चर्चा करायें। आज जनप्रतिनिधियों का उत्पीड़न किया जा रहा है और उनको जेल भेजा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि प्रश्नकाल के बाद सुनेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्, आपका संरक्षण चाहिए........

(व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा कि प्रश्नकाल के बाद सुनेंगे। क्या प्रश्नकाल समाप्त हो गया है ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। मैं सुन रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आज पंचायत प्रतिनिधियों तथा नगर निकाय प्रतिनिधियों का उत्पीड़न हो रहा है। यह सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। हमने आपसे निवेदन किया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, पंचायतों को बचाने के लिए आपका संरक्षण चाहिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है.............(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्यगण ''वेल'' में आ गये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

क्या व्यवस्था का प्रश्न नहीं सुनेंगे ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, पहले सदन व्यवस्थित तो करें। हम नियम–310 पर चर्चा कराये जाने की माँग कर रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के सदस्य "वेल" में नियम–310 पर चर्चा कराये जाने की माँग करने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब तक सदन व्यवस्थित नहीं होगा तब तक कोई भी बात नहीं लिखी जायेगी। माननीय सदस्य पहले आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के सदस्य "वेल" में नियम–310 पर चर्चा कराये जाने की माँग करने लगे।) [XXX]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन का स्थगन 12:30 बजे तक करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 12:30 बजे पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण "वेल" में आ गये और अपनी–अपनी बात को कहने लगे तथा नारे लगाने लगे) [XXX])

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपना आसन ग्रहण करें। जब तक माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर न बैठ जायं, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। माननीय सदस्यगण वेल पर जो भी बात कह रहे हैं, उसे अंकित नहीं किया जायेगा।

('वेल" में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत अपनी–अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें, जब तक सदन व्यवस्थित नहीं होगा, आप लोग की बात कैसे सुनी जा सकती है ?

("वेल" में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत अपनी–अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे।

नोट : [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है,

डा0 हरक सिंह रावत--

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों तथा नगर निकाय के प्रतिनिधियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। यह स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे जनता में आक्रोश है, हमारा कहना है कि हमारी सूचना को आप नियम--310 के अन्तर्गत चर्चा के लिए स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, पहले सदन तो व्यवस्थित हो, जब तक सदन व्यवस्थित नहीं होगा, हम कैसे किसी की बात को सुनेंगे ?

("वेल" में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत अपनी--अपनी बात कहते रहे और नारे लगाने लगे) [XXX]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

आज नियम--300 के अन्तर्गत जिन माननीय सदस्यों की सूचनाओं को मेरे द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसकी सूचना मैं पूर्व में सदन को दे चुका हूँ, उनमें पहली सूचना सुश्री कैरन हिल्टन की है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

व्हाईटनर लेखन सामग्री पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम--300 के अन्तर्गत सूचना

सुश्री कैरन हिल्टन--

मान्यवर, व्हाईटनर एक सामान्य लेखन सामग्री के रूप में प्रयुक्त होता है। यह एक नशीला टॉक्सिक रसायन है। बड़े पैमाने पर स्कूल जाने वाले छात्रों/टीन एजरों में नशे की लत बढ़ती जा रही है। व्हाईटनर को भी छात्रों/युवाओं द्वारा नशे के रूप में प्रयोग में लाये जाने की शिकायत मिलती है। इस रसायन को नशे के रूप में प्रयोग करने से स्वास्थ्य के साथ--साथ सामाजिक विकृति की समस्या उत्पन्न हो रही है। किसी प्रकार इस रसायन के प्रचलन पर रोक लग सके, इस विषय में सोचना आवश्यक है। जबकि जैल फार्म में भी यह रसायन उपलब्ध है, इसीलिए बोतल फार्म में इसकी उपलब्धता पर रोक लगाई जानी चाहिए। इससे यह रसायन पीने को नहीं मिलेगा।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कार्यवाही की माँग करती हूँ।

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण "वेल" में खड़े होकर पूर्ववत नारे लगाते रहे) [XXX]

नोट : [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है.

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।)

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य "वेल" में खड़े होकर अपनी बात कह रहे हैं उसे लिखा नहीं जायेगा।

उत्तराखण्ड जल संस्थान कर्मियों को उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम के कर्मियों की भांति सुविधायें न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपाल सिंह रावत–

मान्यवर, राज्य में उत्तराखण्ड जल संस्थान कर्मचारी वर्ष 2003 में विभिन्न सम्वर्गों में नियमित हुए हैं, साथ ही पेयजल निर्माण निगम ने भी वर्ष 2003 में अपने नियमित कर्मचारियों को 5 वर्ष का सेवा लाभ दिया। जबकि उत्तराखण्ड जल संस्थान में वर्ष 2003 में नियमित हुए कर्मियों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है जिस कारण नियमित हुए कर्मचारियों को पेंशन सुविधा अनुमन्य नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी ओर विभागीय ढाँचे में समूह घ से ग में शैक्षिक योग्यता के आधार पर 25 प्रतिशत पदोन्नति का प्राविधान था, किन्तु विभाग द्वारा मृतक आश्रितों की नियुक्ति को ढांचे में स्वीकृत प्रतिशत में समायोजित किया गया है जो कि सैद्धान्तिक तौर पर उचित नही है। एक ही राज्य में एक ही तरह के विभाग में दो तरह की नीतियाँ लागू कर जल संस्थान के 475 अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं किया गया है और कार्मिक लम्बे समय से आन्दोलित भी है।

अतः मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।

जनपद चमोली में गैरसैंण वि0ख0 के अन्तर्गत कई क्षेत्रों में बरसाती पानी से भारी हानि होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनिल नौटियाल–

महोदय, जनपद चमोली में गैरसैंण विकास खण्ड के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई विभाग कार्यालय से सरस्वती विद्या मन्दिर एवं गैरसैंण में रा0इ0 कालेज खेल मैदान से लकाधार तक तथा आदिबद्री में आटागाड़ गधेरे के दोनों ओर भारी वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिससे भवनों के साथ–साथ जन हानि होने की भी आशंका बनी हुई है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी कई बार क्षेत्रवासियों द्वारा विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया गया है। लेकिन आज तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गयी हैं, जिससे क्षेत्रवासियों में हमेशा किसी भी प्रकार की अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कार्यवाही की माँग करता हूँ।

जनपद पौड़ी के कोटद्वार वि0स0 क्षेत्र में मालिग्न एवं सुखरो नदी पर पुल का निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, पौड़ी जनपद के कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र में मालिन एवं सुखरो नदी में बरसात के समय भाबर क्षेत्र का सम्पर्क कोटद्वार नगर एवं अन्य क्षेत्रों से छूट जाता है, जिससे क्षेत्र की लगभग 1.00 लाख से अधिक की जनसंख्या अपने आप को असहाय और लाचार महसूस करती है।

महोदय, इन दो बरसाती नदियों के कारण प्रतिवर्ष अनेकों महिलाएं प्रसव के दौरान सही उपचार न होने व अनेकों ग्रामीण इन नदियों की चपेट में आने से अकारण काल के गाल में समा जाते हैं। साथ ही इन दोनों नदियों पर पुल के निर्मित न होने से इस क्षेत्र का अपेक्षित आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। इस विषय पर कई बार क्षेत्रीय ग्रामीण आन्दोलन कर चुके हैं और अभी भी आक्रोशित हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सरकार का जवाब तथा उचित कार्यवाही की माँग करता हूँ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री राजेश जुवांठा जी का नाम पुकारे जाने पर वे अपनी सूचना पढ़ने के लिए खड़े नहीं हुए।)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश का नाम पुकारे जाने पर वे अपनी सूचना पढ़ने के लिए खड़े नहीं हुए।

नियम–310 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना माननीय सदस्य डा0 हरक सिंह रावत, श्री प्रीतम सिंह, श्री करन मेहरा, श्री किशोर उपाध्याय, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, श्री यशपाल आर्य, श्री केदार सिंह रावत, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री राजेश जुवांठा, श्री मनोज तिवारी, श्री गोपाल सिंह राणा, श्री जोत सिंह गुनसोला, श्री तिलक राज बेहड़, श्रीमती अमृता रावत, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल की प्राप्त हुई है। जो प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों तथा नगर निकाय प्रतिनिधियों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में है तथा दूसरी सूचना काजी मो0 निजामुद्दीन, श्री हरिदास, चौ0 यशवीर सिंह, श्री सुरेन्द्र राकेश, मो0 शहजाद, हाजी तस्लीम अहमद की है। जो प्रदेश में अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को बिना जाति प्रमाण–पत्र के मेडिकल कालेज, इन्जीनियरिंग कालेज तथा उच्च शिक्षा में जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रवेश मिलने में कठिनाई के सम्बन्ध में है। मैं नियम–310 की इन दोनों सूचनाओं के विषय को ग्राहयता पर सुन रहा हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीसरी सूचना माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन तथा श्री सुरेन्द्र राकेश की है। माननीय सुरेन्द्र राकेश ने एक अन्य सूचना इससे पहले भी दी हुई है। मैं श्री प्रेमानन्द महाजन का ध्यान इस विषय पर दिलाना चाहता हूँ कि यह विषय सदन में चर्चा के दौरान आ चुका है इसलिए मैं इसे नियम–310 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, क्या आप इस पर चर्चा करा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(तत्पश्चात् ''वेल'' में मौजूद माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर जाकर बैठ गयें।)

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रीतम सिंह जी, जो सूचना आपने नियम–310 के अन्तर्गत दी थी, उसकी ग्राह्यता पर आप बोलें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इस पर चर्चा स्वीकार करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत जी को छोड़कर सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यों के ''वेल'' में आकर अपनी–अपनी बात एक साथ कहने पर घोर व्यवधान।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

ग्राह्यता पर विचार रखेंगे तभी चर्चा का विषय आयेगा।

(माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह जी ने ''वेल'' में खड़े होकर कहा कि ''मैं चर्चा का आग्रह कर रहा हूँ।'')

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात नहीं कहना चाहते हैं तो मैं सदन को 3:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 3:00 बजे पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कुछ माननीय सदस्यगण एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, नियम–310 के अन्तर्गत हमारी एक सूचना थी, जोकि प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में थी। मान्यवर, संविधान में इसके लिए व्यवस्था होने के बाद भी, उनके लिए इस सरकार ने ऐसे नियम बना दिये हैं जिससे उन्हें मेडिकल कॉलेज एवं इन्जीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने में कठिनाई हो रही है।..............(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।......(व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमारी नियम–310 के अन्तर्गत एक सूचना थी, जिस पर हमने चर्चा की माँग की थी। मान्यवर, इस अतिमहत्वपूर्ण सूचना पर चर्चा करायी जानी चाहिए।............ (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं।..........(व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्य "वेल" में आ गये।)

श्री अध्यक्ष–

आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर जाकर खड़े हो गये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना मा0 सदस्य डा0 हरक सिंह रावत, श्री प्रीतम सिंह, श्री करन मेहरा, श्री किशोर उपाध्याय, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, श्री यशपाल आर्य, श्री केदार सिंह रावत, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री राजेश जुवांठा, श्री मनोज तिवारी, श्री गोपाल सिंह राणा, श्री जोत सिंह गुनसोला, श्री तिलक राज बेहड़, श्रीमती अमृता रावत, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल की प्राप्त हुई है। जो प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों तथा नगर निकाय प्रतिनिधियों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में है। किसका उत्पीड़न किया जा रहा है ? यह स्पष्ट नहीं है और न ही यह निश्चित है कि कब की घटना है, किसके खिलाफ कार्यवाही हुई है ? यह स्पष्ट नहीं है, ऐसी स्थिति में मैं इसे नियम–310 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कंग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यण माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर "वेल" में आ गये।)

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना " काजी" मौ0 निजामुद्दीन, श्री हरिदास, चौ0 यशवीर सिंह, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री शहजाद, "हाजी" तस्लीम अहमद की है, जो प्रदेश में अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को बिना जाति प्रमाण–पत्र के मेडिकल कालेज, इन्जीनियरिंग कालेज तथा उच्च शिक्षा में जाति प्रमांण–पत्र के आधार पर प्रवेश मिलने में कठिनाई के सम्बन्ध में है। यह विषय सदन में उठाया जा चुका है, तथापि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करना चाहेंगे। मैं इसे नियम–310 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। माननीय "काजी" मौ0 निजामुद्दीन जी, आप अपनी बात रखिए।................(व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, क्या आप नियम–310 के अन्तर्गत सुन रहे हैं ?............(व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह जी द्वारा "वेल" से नियम–310 के अन्तर्गत उनको सुने जाने की माँग की।)

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको समय दिया था, आप अवसर का लाभ उठाना नहीं चाहते हैं तो मैं क्या करूँ।

[XXX]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, चूँकि सदन व्यवस्थित ही नहीं है, कैसे बात आयेगी ? (व्यवधान)

("वेल" में खड़े माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

[XXX]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, जब नियम–310 की सूचना पर कार्य स्थगित कर चर्चा करायी जाएगी तो सरकार के काम कैसे होंगे ?

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

नोट– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, इसमें सरकारी धन का दुरूपयोग हुआ है।

[XXX]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों की सूचना पर पुष्ट प्रमाणों के साथ जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पहले सदन में बात तो आनी चाहिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

"वेल" में खड़े माननीय सदस्यों की कोई बात अंकित नहीं की जाएगी माननीय काजी जी, आप अपनी बात रखिए।

(माननीय सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे किन्तु घोर व्यवधान के मध्य कुछ भी सुनायी नहीं पड़ा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, कांग्रेस के माननीय सदस्य सदन को चलने नहीं देना चाह रहे हैं। इससे दुःखद बात और क्या होगी ? इस सदन के अन्दर हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरिदास जी, आप अपनी बात रखिए।

(माननीय सदस्य श्री हरिदास अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे किन्तु घोर व्यवधान के मध्य कुछ भी सुनायी नहीं पड़ा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

"वेल" में खड़े माननीय सदस्यों की कोई बात अंकित नहीं की जाएगी। (व्यवधान) माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, नियम–310 की दूसरी सूचना का आप उत्तर दे दीजिए।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे और नारे लगाने लगे।)

[XXX]

नोट– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की पांचवी अनूसूची में उत्तराखण्ड में 65 जातियां, अनुसूचित जाति में उल्लिखित हैं तथा छठवीं अनुसूची में 5 जातियाँ अनुसूचित जनजाति में अंकित हैं। इस प्रकार से अनुसूचित जाति व जनजाति के सम्बन्धित व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र नवसृजित राज्य में इस आधार पर दिया जा सकता है कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद की धारा 341 तथा 342 के अनुक्रम में वर्णित नियमों की परिधि में हों। जहाँ तक पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का प्रश्न है, इनको प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने का प्रश्न है, इसके सम्बन्ध में स्पष्ट किया जा रहा है कि यह राज्याधीन विषय है। जिन जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है, उन्हें प्रमाण–पत्र नियमानुरूप दिये जा रहे हैं। उत्तराखण्ड राज्य के मूल के व्यक्ति या उसके बच्चों को जाति प्रमाण–पत्र देने में कोई कठिनाई नहीं आयेगी, इसे सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, विपक्ष सदन चलने नहीं देना चाहता है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुन्ना सिंह जी, आप कृपया बैठें।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह नेगी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य याचिका उपस्थित करने के लिए खड़े नहीं हुए।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–58 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत कुल पाँच सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मैं सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2007–2008 के आय–व्ययक की माँगों पर चर्चा एवं मतदान–

अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ विभाग, अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग,

अनुदान संख्या–27, वन विभाग, अनुदान संख्या–24, परिवहन विभाग, अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास विभाग, अनुदान संख्या–18, सहकारिता विभाग, अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग, अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग। (स्वीकृत)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 3510497 हजार (तीन सौ इक्यावन करोड़ चार लाख सत्तानबे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस पर कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 3510497 हजार (तीन सौ इक्यावन करोड़ चार लाख सत्तानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 4545298 हजार (चार सौ चौवन करोड़ बावन लाख अट्ठानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस पर कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान

द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 4545298 हजार (चार सौ चौवन करोड़ बावन लाख अट्ठानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण "वेल" में खड़े होकर पूर्ववत् नारे लगाते रहे) [XXX]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2922589 हजार (दो सौ बयानवे करोड़ पच्चीस लाख नवासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2922589 हजार (दो सौ बयानवे करोड़ पच्चीस लाख नवासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण "वेल" में आकर जोर–जोर से नारे लगाने लगे) [XXX]

(घोर व्यवधान के मध्य)

*वन एवं परिवहन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27, वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1970776 हजार (एक सौ सत्तनवे करोड़ सात लाख छिहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

नोट– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–27, वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1970776 हजार (एक सौ सत्तानवे करोड़ सात लाख छिहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24, परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 626601 हजार (बासठ करोड़ छियासठ लाख एक हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24, परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 626601 हजार (बासठ करोड़ छियासठ लाख एक हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

पंचायती राज मंत्री (श्री बिशन सिंह चुफाल)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–19, ग्राम्य

विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2606527 हजार (दो सौ साठ करोड़ पैसठ लाख सत्ताईस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2606527 हजार (दो सौ साठ करोड़ पैसठ लाख सत्ताईस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–18, सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 180480 हजार (अट्ठारह करोड़ चार लाख अस्सी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस पर अपना कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–18, सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 180480 हजार (अट्ठारह करोड़ चार लाख अस्सी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

*कृषि मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिक्ति रुपये 1531441 हजार (एक सौ तिरपन करोड़ चौदह लाख इकतालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस पर अपना कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1531441 हजार (एक सौ तिरेपन करोड़ चौदह लाख इकतालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 460413 हजार (छियालीस करोड़ चार लाख तेरह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस पर अपना कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–28,पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 460413 हजार (छियालीस करोड़ चार लाख तेरह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री खजान दास, श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल, श्री राजेश जुवाँठा, श्री केदार सिंह रावत, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, हाजी तस्लीम अहमद, श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री प्रेमानन्द महाजन की कुल 08 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इन सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र काशीपुर में 'एस्कॉर्ट फार्म' के सैकड़ों किसान परिवारों को उनकी कृषि भूमि के पट्टे न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री हरभजन सिंह चीमा स0वि0स0 द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, श्री हरभजन सिंह चीमा, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत सूचना माँगी गई है कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र काशीपुर में पूर्व सरकार द्वारा एस्कॉर्ट फार्म के उजाड़े गये सैकड़ों किसान परिवारों नें से सौ से अधिक परिवारों को उनकी कृषि भूमि के पट्टे न दिये जाने से प्रभावित परिवार घर से बेघर हो चुके हैं तथा प्रभावित परिवारों का जीवन संकट में है। किसी भी समय कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, स्थिति अत्यन्त तनावपूर्ण एवं विस्फोटक बनी हुई है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर सदन में सरकार से वक्तव्य की माँग करता हूँ।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मै0 एस्कॉर्ट फार्म काशीपुर द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर याचिका संख्या–1584/1998 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20–02–2004 द्वारा निरस्त कर दिया और सीलिंग कार्यवाही में 1128.67 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित किये जाने के निर्णय की पुष्टि कर दी गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में दिनांक 03–01–2006 को सीलिंग की 1089 एकड़ भूमि पर से अतिक्रमण हटाया गया था। जिसमें 251 परिवार अवैध काबिज पाये गये। कब्जा लेने के दौरान जिन लोगों के भवन आदि तोड़े गये थे, उन सभी लोगों को मुआवजे के रूप में 61,50,000.00 रुपये की धनराशि वितरित की गई। अवैध काबिज 251 परिवारों में से पात्र 192 परिवारों को 352.70 एकड़ भूमि का पट्टा देकर पुनर्वासित कर दिया गया है। ये 192 परिवार भूमिहीन थे। जिसमें से 42 अनुसूचित जाति, 31 पर्वतीय, 103 जट सिख तथा 16 अन्य समुदाय से सम्बन्धित थे। यह आवंटन

'अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960' के अन्तर्गत किया गया। अवशेष परिवारों के पास अन्यत्र भूमि/आवास/व्यवसाय होने के कारण पात्रता की श्रेणी में नहीं पाये गये, इसलिए इनको भूमि का पट्टा आवंटित नहीं किया गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद उत्तरकाशी की तहसील बड़कोट के नकोड़ा गाँव में 24 मई, 2007 की रात्रि को भीषण अग्निकाण्ड से 11 परिवारों को हुई क्षति के लिए विवेकाधीन कोष से राहत राशि देने के सम्बन्ध में श्री केदार सिंह रावत स0वि0स0 द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी के तहसील बड़कोट के ग्राम नकोड़ा में दिनांक 24–05–2007 की रात्रि लगभग 11:00 बजे ग्राम कुथनौर मध्ये नकोड़ा में आंधी तूफान के कारण उड़ी चिनगारी से आग लगने के कारण 11 परिवारों के 03 पक्के भवन जल कर नष्ट हुए हैं और तीनों भवनों में रखी खाद्यान्न सामग्री भी जल कर नष्ट हुई है, प्रभावितों को सी0आर0एफ0 मानकों के अनुसार तात्कालिक राहत के रूप में रु0 1,000/– प्रति परिवार की दर से अहेतुक सहायता वितरित कर दी गई है। अग्नि काण्ड से जल कर नष्ट हुए भवनों के लिए गृह अनुदान के रूप में नियमानुसार राहत सहायता वितरण की कार्यवाही की जा रही है।

जहाँ तक राहत राशि विवेकाधीन कोष से विचार करने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी उत्तरकाशी से आख्या/संस्तुति प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से नियमावली में दिये गये प्राविधानानुसार स्वीकृत की कार्यवाही की जायेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, सोमवार, 09 जुलाई, 2007 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही 03 बजकर 28 मिनट पर दिन सोमवार, दिनांक 09 जुलाई, 2007 के प्रातः 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड

देहरादून :
दिनांक 06 जुलाई, 2007

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 15 विधान सभा/399–02–9–2008–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो।